संख्या:96/2020/2743 ई-2/तेरह-2020-61/2016

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 31 दिसम्बर, 2019

विषय: मेसर्स अवध शुगर एण्ड एनर्जी लि., हरगांव आसवनी, जनपद सीतापुर को वर्ष में 330 कार्य दिवस के स्थान पर 350 कार्य दिवस तक संचालित करने की अनुमति प्रदान करते हुए आसवनी की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 330 लाख लीटर से बढ़ाकर 350 लाख लीटर किये जाने सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-62/दो-प्रा.डी.-18, दिनांक 09.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्वहित में मेसर्स अवध शुगर एण्ड एनर्जी लि., हरगांव आसवनी, जनपद सीतापुर की वर्तमान क्षमता प्रतिदिन 1.0 लाख ली. अल्कोहल उत्पादन यथावत रखते हुए आसवनी को वर्ष में स्वीकृत कार्यकारी दिवस को 330 दिवस से बढ़ाकर 350 दिवस किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने एवं आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 330 लाख ली. वार्षिक से बढ़ाकर 350 लाख ली. वार्षिक किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा विस्तारित क्षमता से पूर्व श्रम विभाग, पर्यावरण विभाग, केन्द्र/राज्य सरकार की सुसंगत विधियों एवं स्थानीय विधियों में विहित व्यवस्था का पालन तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों/मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in